जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-03.08.2025**

प्रेस नोट

थाना कांधला पुलिस द्वारा युवकों के साथ मारपीट करने के मामले में 03 वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि आज दिनांक 01.08.2025 को वादी श्री सुनील चौहान पुत्र जगपाल निवासी ग्राम गढीश्याम थाना कांधला जनपद शामली व उसके भाई राहुल के साथ अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के सम्बन्ध में श्री सुनील उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कांधला पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये युवकों के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने की घटना में वाछिंत 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-अदनान पुत्र जरीफ निवासी ग्राम गंगेरु थाना कांधला जनपद शामली।

2-महताब पुत्र गुलजार निवासी ग्राम गंगेरु थाना कांधला जनपद शामली।

3-आफरीदी पुत्र नफीस निवासी ग्राम गंगेरु थाना कांधला जनपद शामली।

कोतवाली काँधला
मो.9454404071 जनपद-शामली
उत्तर प्रदेश पुलिस

थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला ईदरीश बेग विहार में चोरों के होने की झूठी अफवाह फैलाने के मामले में 05 अभियुक्त गिरफ्तार:–

दिनांक 02.08.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी, लूट व झूठी अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं अन्य अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला ईदरीश बेग विहार में सरकारी अस्पताल के पीछे चोर होने की झूठी अफवाह फैलाने के मामले में 05 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:–

1-आरिफ पुत्र असगर निवासी मौहल्ला इदरीश बेग विहार थाना कांधला जनपद शामली।

2-शफीक पुत्र अब्दुल निवासी मौहल्ला इदरीश बेग विहार थाना कांधला जनपद शामली।

3-अकरम पुत्र जाकिर निवासी मौहल्ला इदरीश बेग विहार थाना कांधला जनपद शामली।

4-कासिम पुत्र नन्नू निवासी मौहल्ला इदरीश बेग विहार थाना कांधला जनपद शामली।

5-फारुख पुत्र अनीस निवासी मौहल्ला इदरीश बेग विहार थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा महिला के साथ छेडखानी, गाली गलौच व अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 01.08.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत महिला के साथ अभियुक्त द्वारा छेडखानी ,अभद्र टिप्पणी व गाली गलौच करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कैराना को दिये गये थे ।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा महिला के साथ छेडखानी, गाली गलौच व अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शकील पुत्र कालू निवासी मौहल्ला इस्लामनगर कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली ।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मामौर में हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

ज्ञात हो कि दिनांक 16.06.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मामौर के जंगल में देवेन्द्र पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम कुराड थाना सनौली जनपद पानीपत हरियाणा को सतीश प्रधान के ट्यूबेल के पास जंगल ग्राम मामौर में गोली/चाकू मारने की घटना घटित हुई थी घटना के दौरान इस्लाम पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली को भी चाकू मारकर घायल कर दिया गया । घायलो को सिविल अस्पताल पानीपत उपचार हेतु ले जाया गया। दौराने उपचार देवेन्द्र उपरोक्त की मृत्यू हो गयी थी । घटना की सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, थाना कैराना पुलिस व फील्ड़ यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये थे । मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु 04 टीमो का गठन किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे हत्या/लूट/अपहरण की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें वाछिंत अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मामौर में हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.नासिर पुत्र हनीफ निवासी ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली ।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा महिला से दुष्कर्म करने के मामले में हिस्ट्रीशीटर 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 02.08.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत महिला के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के सम्बन्ध पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक झिंझाना को दिये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में हिस्ट्रीशीटर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.फिरोज पुत्र अजीम खां निवासी मौहल्ला पठानान कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 227/2000 धारा 302 भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 249/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0150/04 धारा 147/148/149/302 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0170/04 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
5. मु0अ0सं0 437/2007 धारा 364 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
6. मु0अ0सं0 474/2009 धारा 332/353 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
7. मु0अ0स0 209/2009 110(G), 110(G)सीआरपीसी थाना झिंझाना जनपद शामली।
8. मु0अ0सं0 340/2010 धारा 147/148/149/302/120बी भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ।
9. मु0अ0सं0 443/2010 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरधना जनपद मेरठ।
10. मु0अ0सं0 571/2011 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
11. मु0अ0सं0 92/2012 धारा 147/148/336/504 भादवि व7सीएलए एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
12. मु0अ0सं0 124/2012 धारा 186/283/290 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
13. मु0अ0सं0 208/2012 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना झिंझाना जनपद शामली।
14. मु0अ0सं0 240/2012 धारा ¾ यू.पी. गुन्डा अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
15. एनसीआर 12/2022 धारा 506 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
16. मु0अ0सं0 113/2022 धारा 387/388/504/506 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
17. मु0अ0सं0 156/2022 धारा 386/427/506 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
18. मु0अ0सं0 229/2022 धारा 386/447 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
19. मु0अ0सं0 230/2022 धारा 420/465/384 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
20. मु0अ0स0 369/2025 धारा 333/70(1) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

रिपोर्टिंग पुलिस चौकी
ऊन, थाना-झिंझाना
जनपद-शामली

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत छद्म भेष धारण कर कूटरचित दस्तावेज रखने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार:–

दिनांक 02.08.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे छद्म भेष धारण करने वालो के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं अन्य अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत छद्म भेष धारण कर फर्जी कूटरचित दस्तावेज रखने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:–

1.इमामुद्दीन अंसारी नूर पुत्र मौहम्मद अँसारी निवासी मौहल्ला थाना लाईन थाना कालचीनी जिला अलीपुरद्वार राज्य पश्चिम बंगाल।

बरामदगी का विरवण –

1.एक अदद पैनकार्ड (वास्तविक)।

2.एक अदद आधारकार्ड (वास्तविक)।

3.एक अदद आधारकार्ड (कूट रचित)।

<u>थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत आयुष्मान आरोग्य मन्दिर कुरमाली उपकेन्द्र में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये चोरी की घटना में लिप्त 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2100 रुपये नगद बरामदः-</u>

ज्ञात हो दिनाँक 28.06.2025 को थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुरमाली उपकेन्द्र में अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर दी गयी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश थानाध्यक्ष बाबरी को दिये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत आयुष्मान आरोग्य मन्दिर कुरमाली उपकेन्द्र में हुई चोरी की घटना में लिप्त 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-</u>

1.सावेज पुत्र प्रवेज निवासी हाल पता कस्बा व थाना बाबरी जनपद शामली स्थायी पता ग्राम कुटेसरा थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.चोरी के बेचे गये माल के 2100 रुपये नगद बरामद।

[SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI]